महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-15/20/95-का-4-2006

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 11 दिसम्बर, 2006

विषयः- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 17 अगस्त,2006 में आयोग द्वारा सम्पादित की जाने वाली परीक्षाओं/ चयनों से संबंधित समय-सारिणी संलग्न करते हुए आपसे यह अनुरोध किया गया था कि उक्त समय-सारिणी के अनुसार आयोग द्वारा चयन सम्पादित कराने हेतु समय से अधियाचन प्रेषित करने का कष्ट करें ।

2. आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त निर्देशों के बावजूद अभी भी उन्हें समय से अधियाचन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जिससे निर्धारित तिथि पर विज्ञापन प्रकाशित करने में विलम्ब हो रहा है । अतः आपसे पुनः निम्नवत् अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन के फलस्वरूप उक्त आयोग की परिधि में सम्मिलित पदों को छोड़कर, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समस्त पदों के अधियाचन (सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2007, जिसका विज्ञापन दिनांक 01.01.2007 को प्रकाशित किया जाना आवश्यक है, सहित) यदि अभी तक आयोग को प्रेषित न किये गये हों, तो उन्हें तत्काल आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(2) प्रेषित किये जाने वाले अधियाचन में आरक्षण से संबंधित समस्त सूचनाओं, यथा लम्बवत् / क्षैतिज आरक्षण, रोस्टर क्रमांक आदि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, सेवानियमावली (हिन्दी/अंग्रेजी) की प्रति भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(3) आगामी परीक्षाओं से संबंधित समस्त अधियाचन, समस्त सूचनाओं सहित समय से आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि शासनादेश दिनांक 17.8.2006 में प्राविधानित समय-सारिणी के अनुसार आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही की जा सके ।

3. आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुए, अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

संलग्नकः- यथोपरि ।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)
सचिव ।

संख्या-15/20/95(1)-का-4-2006, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव ।

अधियाचन प्रपत्र-।

(प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए)

।-(क) पद का नाम तथा वेतनमान-

(ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हाँ, तो यह पद कब सृजित किया गया -.

(ग) भरे जाने वाले पदों की संख्या-

1- अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए-

2- अनुसूचित जन जाति के लिए -

3- पिछड़ी जाति-

4- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित-

5- सेना के विकलांग एवं सेना के वियोजित अभ्यर्थियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए-

6- अक्षम/विकलांग अभ्यर्थियों हेतु

(1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि के अभ्यर्थियों के लिए-

(2) श्रवणह्रास से ग्रसित अभ्यर्थियों के लिए-

(3) चलन क्रिया सम्बन्धी आवकता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रसित व्यक्तियों के लिए-

(आरक्षण हेतु पद विशेष को विच्छित व अधिसूचित किये जाने विषयक शासनादेश/अधिसूचना/विज्ञप्ति का विवरण देते हुए उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न करें)

7- महिलाओं के लिए-

8- सामान्य अभ्यर्थियों हेतु-

टिप्पणी : क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियाँ रोस्टर के अनुसार हैं ? यदि हाँ तो रोस्टर के क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय ।

(घ) यदि यह पद नया नहीं है, तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ है -

1- क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गई है-

2- यदि हाँ, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है-

3- क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ, तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाये-

4- यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, तो परिस्थितियाँ बताई जाय जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नहीं की जा सकी-

(क) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में है-

(ख) सेवा का नाम यदि कोई हो, जिससे उक्त पद संबंधित है-

(ग) क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो संबंधित सेवा-नियमावली में दिखाई गई है-

(घ) यदि नहीं, तो नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या -26/29-65, दिनांक 11 अक्टूबर, 1965 के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाये जाने के लिए आवश्यक विज्ञप्ति की संख्या और दिनांक बतायें-

2- राजपत्रित या अराजपत्रित-

3- यह पद स्थाई है अथवा अस्थाई, यदि अस्थाई है तो वह अवधि जबकि यह पद कायम रहेगा-

4- क्या पद पेंशनयुक्त है अथवा बिना पेंशन का-

5- परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो-

6- कर्तव्य-

7- चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्य ग्रहण करना होगा-

8- वेतनमान क्या बताया गया प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है, यदि हाँ तो किस हद तक-

9- निर्वाहनिधि-

10- कोई विशेष रियायत जैसे मुक्त क्वार्टर रोशनी पानी -

11- अपेक्षित अर्हतायें-

(क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हताये प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित हैं-

(ख) अधिमान्य अर्हतायें यदि कोई हो-

(ग) कोई अन्य अर्हतायें-

(घ) यदि उपर्युक्त अर्हतायें किसी हद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह हद तक ऐसा किया जा सकता है -

(ङ) क्या समकक्ष अर्हतायें स्वीकार की जायेगी, यदि हाँ तो समकक्ष अर्हतायें बताईए:-

12- आयु सीमायें-

(क) निम्न आयु सीमा:

(ख) उच्च आयु सीमा (यह बताइये कि क्या इस आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है तो कितना)-

13- राष्ट्रीयता-

14- क्या सरकारी कर्मचारी पात्र हैं यदि हाँ तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा, उन शर्तों को बताइये जो उनके पक्ष में शिथिल की जायेगी -

15- कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता को उपर्युक्त प्रश्नों के अन्तर्गत नहीं आती -

अधिसूचना प्राधिकारी के हस्ताक्षर . . . . . .

पद नाम . . . . . .